



इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

रिट - ए संख्या - 940/2026

लक्ष्मण सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कपिल कुमार, संध्या सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष सिंह तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका में प्रार्थना दिनांक 31.12.2025 के उस आदेश को निरस्त करने की है, जो पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा पारित किया गया है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को निम्न वेतनमान में रखने का दंड दिया गया है। यह निर्देवाद है कि उक्त दंडादेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के अंतर्गत अपील एवं पुनरीक्षण का प्रावधान उपलब्ध है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा भी इस तथ्य का खंडन नहीं किया जा सका।
4. न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता के लिए यह खुला है कि वह उक्त आदेश को अपील एवं पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दे।
5. अतः, कोई उचित आधार नहीं बनता है। रिट याचिका निरस्त की जाती है।

जनवरी 28, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"